संख्या:25/2021/658 ई-2/तेरह-2021-89/2006

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ :दिनांक 17 मार्च, 2021

विषयः- मेसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., डिस्टिलरी यूनिट साबितगढ़, पोस्ट करौरा, तहसील खुर्जा, जनपद-बुलन्दशहर को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के कारण अधिष्ठापित क्षमता में अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः- जी-96/दो-प्रा.डी.-201, दिनांक 06.03202.1 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

.2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, शुगर यूनिट साबितगढ़, पोस्ट करौरा, तहसील खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर को स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 560 लाख लीटर वार्षिक के अतिरिक्त अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत अर्थात 140 लाख ब.ली. एथनॉल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा तथा आसवनी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट दिनांक 01.12.2020 के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तों का अनुपालन करते हुए उत्पादन कार्य किया जायेगा। आसवनी में बी-हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in